— 1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी

1. भोमाराम पुत्र अचलाजी, जाति हिरागर, निवासी सिन्दरथ, तह. व जिला सिरोही।

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सिरोही।

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 72 / 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री हरिओम दत्ता व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1042 दिनांक 12.11.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा सिन्दरथ, पटवार हल्का धान्ता के खसरा सं. 943 रकबा 0.6100 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में पपु पुत्र अचला, हिस्सा 1/3 जाति सरगडा दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है। आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, निर्वाचन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भोमाराम पुत्र अचलाजी दर्ज है। मौका फर्द के अनुसार गाँव के व्यक्तियों से पुछताछ मे पाया कि उक्त प्रार्थी दोनो नाम से जाना जाता है। पपु नाम बोलचाल में होने से पपु नाम दर्ज हो गया है। पपु व भोमाराम दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का जमाबंदी में नाम संशोधन करने की अनुशंसा की जाती है। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम सिन्दरथ, पटवार हल्का धान्ता के खसरा सं. 943 रकबा 0.6100 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी खातेदार का नाम पपु पुत्र अचला के स्थान पर भोमाराम पुत्र अचलाजी संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज॰)	